कार्यालय तहसीलदार कवर्धा,जिला कबीरधाम (छ.ग.)

E-Mail ID – tehsil.kwd1998@gmail.com

::: ज्ञापन :::

क्रमांक / 1451B / कानूनगो / तह. / 2019 कवर्धा, दिनांक 10 / 07 / 2019

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(DIO)
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :– **तहसील कार्यालय परिसर में वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन संचालन हेतु जारी ज्ञापन को जिला के वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।**

——00——

विषयांतर्गत लेख है कि तहसील कार्यालय परिसर कवर्धा में वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन संचालन हेतु जारी ज्ञापन को जिला के वेबसाईट www.kawardha.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार,
कवर्धा,जिला–कबीरधाम

कार्यालय तहसीलदार कवर्धा,जिला कबीरधाम (छ.ग.)

// प्रेस विज्ञप्ति //

तहसील परिसर कवर्धा में वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन संचालन हेतु अवधि 22.07.2019 से एक वर्ष के लिए यह अनुबंध नियम एवं शर्तों के अधीन निष्पादित कराया जाना है। इस हेतु दिनांक 18.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कवर्धा में खुली बोली से नीलामी की जावेगी। वाहन स्टैण्ड का संचालन दिनांक 22.07.2019 से प्रारंभ किया जावेगा जो दिनांक 22.07.2020 तक अनुबंध के अनुसार 01 वर्ष के लिए संचालित रहेगा। वाहन स्टैण्ड के लिए न्यूनतम बोली 200000/–एवं केंटीन के लिए 200000/–न्यूनतम बोली निर्धारित की गयी है। बोली में अधिकतम राशि अंकित करने वाले व्यक्ति को वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन के संचालन हेतु अनुबंधित किया जावेगा। आवेदकों को बोली में भाग लेने के लिए **5,000 रू. अक्षरी पांच हजार रूपये** प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा, जिनका आवेदन अस्वीकृत किया जावेगा, उन्हे राशि वापस कर दी जावेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के संबंध में कानूनगो शाखा तहसील कार्यालय कवर्धा एवं जिला कार्यालय के वेबसाईट **www.kawardha.gov.in** से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक **18.07.2019 को दोपहर 3:00 बजे** कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में उपस्थित होकर खुली बोली में भाग ले सकते है।

तहसीलदार,
कवर्धा,जिला–कबीरधाम

कार्यालय तहसीलदार कवर्धा,जिला कबीरधाम (छ.ग.)

// ज्ञापन //

क्रमांक /1451/A कानू./तह./2019 कवर्धा, दिनांक 10 7 ~~06~~.2019

यह निर्णय लिया गया है कि तहसील परिसर कवर्धा में वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन संचालन हेतु अवधि 22.07.2019 से एक वर्ष के लिए यह अनुबंध निम्नानुसार शर्तों के अधीन निष्पादित कराया जाना है। इस हेतु दिनांक 18.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा में खुली बोली से नीलामी की जावेगी। उपरोक्तानुसार संचालन संबंधी दस्तावेज के साथ उपस्थित होवें।

वाहन स्टैण्ड का संचालन दिनांक 22.07.2019 से प्रारंभ किया जावेगा जो दिनांक 22.07.2020 तक अनुबंध के अनुसार 01 वर्ष के लिए संचालित रहेगा। बोली में अधिकतम राशि अंकित करने वाले व्यक्ति को वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन के संचालन हेतु अनुबंधित किया जावेगा। नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी।

1. समस्त आवेदकों को बोली में भाग लेने के लिए 5,000 रू. अक्षरी पांच हजार रूपये प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जाना होगा। जिनका आवेदन अस्वीकृत किया जावेगा, उन्हे राशि वापस कर दी जावेगी।
2. संचालक द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर पुनः छः माह के लिए अनुबंध आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. संचालक द्वारा तहसीलदार के अनुबंध के विरूद्ध कार्य किया जाता है तो उनके द्वारा जमा प्रतिभूति समपहृत की जावेगी जो अदेय होगा।
4. वाहन स्टैण्ड के लिए न्यूनतम बोली 200000/--एवं केंटीन के लिए 200000/-- न्यूनतम बोली वार्षिक निर्धारित की गयी है।
5. वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन संचालन की बोली स्वीकार किये जाने पर प्रथम किश्त 50 प्रतिशत राशि तीन दिवस के अन्दर तहसीलदार कवर्धा के पास जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संचालन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। उसके उपरान्त आगामी 4 माह में 20 प्रतिशत राशि उसके 4 माह में 20 एवं शेष अन्तिम 4 माह पूर्व 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
6. वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन सुबह 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुला रहेगा।
7. स्टैण्ड एवं केंटीन संचालन के लिए आवश्यक सामान की व्यवस्था संचालक अपने स्वयं के व्यय से करेगा तथा अधिकारियों/कर्मचारियों/जनसामान्य की संख्या के अनुरूप आवश्यक वाहन पार्किंग की व्यवस्था करेगा।
8. वाहन स्टैण्ड हेतु दुपहिया, चार पहिया एवं हल्के वाहन तथा सायकल आदि की दर अनुमोदित कराया गया है, जिसके अनुसार ही वाहन किराया लिया जावेगा। अनुमोदित दर से अधिक दर किसी भी उपभोक्ता से नहीं लिया जावेगा।
9. वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन के संचालन हेतु अनुबंधकर्ता पक्ष यथा संभव पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी रखे तथा वाहनों के रख-रखाव एवं सुरक्षा की जवाबदारी स्टैण्ड/केंटीन संचालक की होगी।
10. वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन में बाल श्रमिक कार्य नहीं करेंगे तथा श्रम कानून का पूर्णतः पालन किया जावेगा।
11. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/रजिस्टर्ड अधिवक्ता के अलावा अन्य ऐसे व्यक्ति जो विशेष अतिथि हैं, उनसे संचालित वाहन पार्किंग का भुगतान नहीं लिया जावेगा।

12. वाहनों के दैनिक किराये की दर अनुमोदित है इसी दर पर वाहनों के रख–रखाव का संचालन किया जावेगा।

क्र.	वाहन का प्रकार	निर्धारित दर प्रतिदिन	कैफि.
1	दो पहिया सायकल	5.00	
1	दो पहिया वाहन मोटर सायकल	10.00	
2	चार पहिया वाहन जीप, टेक्सी, टेम्पो, सुमो, स्कार्पियों आदि	20.00	

13. समय–समय पर वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन का निरीक्षण तहसीलदार/नायब तहसीलदार करेंगे। निरीक्षण के दौरान वाहनों एवं केंटीन के रख–रखाव की जांच की जावेगी। निर्धारित मापदण्ड अनुसार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालन कार्य बंद कराया जा सकता है।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं अन्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) का मान्य होगा।
15. वाहन स्टैण्ड एवं केंटीन में स्वच्छता की जिम्मेदारी संचालक की होगी।
16. रजिस्टर्ड महिला स्व सहायता समूह/समिति को प्राथमिकता दी जावेगी।
17. उपरोक्त निर्धारित दर समय–समय में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के अनुमोदन उपरांत परिवर्तनीय होगी। संचालक की सेवाओं से संतुष्ट न होने पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
18. कैंटिन एवं पार्किंग संचालन से प्राप्त राशि का व्यय अनुविभाग स्तर पर गठित समिति के अनुशंसा एवं अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन पश्चात तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।

तहसीलदार,
कवर्धा,जिला–कबीरधाम